महत्वपूर्ण/ई-मेल

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 01 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2024

विषयः- जनपद-गाजियाबाद में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत इकाइयों के अबाध संचालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपर आयुक्त उद्योग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1108/एम0एस0एम0ई0-17/(06)/2023-24 दिनांक 18.01.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद-गाजियाबाद में प्राधिकरणों द्वारा प्रताड़ित की जा रही इकाइयों के अबाध संचालन हेतु शासनादेश जारी करने संबंधी अपर सचिव, ऑल इण्डिया मेटल फागिंग एसोसिएशन का पत्र दिनांक 25.10.2023 उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by अरूण कुमार
Date: 31-01-2024 18:45:59
Reason: Approved

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

2694024/2024/ -3

संख्या- 275 /आठ-3-2024 1

प्रेषक

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0
कानपुर।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

88069\ACSH\24

2-वाइस चेयरमैन,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद, उ0प्र0।

VS(AK)\आ-3

19-01-2024

(विनोद ...)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन
उ0प्र0 ...

पत्रांक 1108/एम0एस0एम0ई0-17/(06)/2023-24 कानपुर:दिनांक: 18/ जनवरी,2024

विषयः-राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गाजियाबाद में प्राधि करणों द्वारा प्रताड़ित की जा रही इकाइयों के अबाध संचालन हेतु शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न शासन के पत्र सं0-1032/18-4-2023 दिनांक 07-11-2023 के साथ संलग्न आल इण्डिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन के पत्र दिनांक 25-10-2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो गाजियाबाद में प्राधिकरणों द्वारा प्रताड़ित की जा रही इकाइयों के अबाध संचालन हेतु शासनादेश जारी करने विषयक है।

चूंकि उक्त प्रकरण विकास प्राधिकरण से संबंधित है। अतः अनुरोध है, कि कृपया अपने स्तर से गाजियाबाद में इकाईयों के अबाध संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-**यथोपरि।**

भवदीय,

(राज कमल यादव)
अपर आयुक्त उद्योग,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन सं0: /उपरोक्त, तद्दिनांक:

उक्त की प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4, लखनऊ को शासन के पत्र सं0-1032/18-4-2023 दिनांक 07-11-2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राज कमल यादव)
अपर आयुक्त उद्योग,
उत्तर प्रदेश।

24/1/2024

JCI (SSI)

संख्या– 1039 / 18–4–2023

प्रेषक,

फलेन्द्र पाल सिंह राठौर

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

Addl C (SSI)

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,

उ0प्र0 कानपुर।

Add CI

8/11

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक 07 नवम्बर, 2023

विषय– राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गाजियाबाद में प्राधिकरणों द्वारा प्रताड़ित की जा रही इकाइयों के अबाध संचालन हेतु शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, ~~आल इण्डिया मेटल फार्मिंग एसोसिएशन~~ के पत्र दिनांक 25.10.2023 की संलग्न छायाप्रति का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गाजियाबाद में प्राधिकरणों द्वारा प्रताड़ित की जा रही इकाइयों के अबाध संचालन हेतु शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

1423
20/11/23

भवदीय,

Signed by फलेन्द्र पाल सिंह राठौर (फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
Date: 07-11-2023 संयुक्त सचिव।
Reason: Approved

254
28/11/23

संख्या– 1039 (1) / 18–4–2023 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अनु सचिव, आवास विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित उक्त पत्र दिनांक 25.10.2023 में किए गए अनुरोध के कम में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)

संयुक्त सचिव।

843
20/11/23

DCI / Ac (SSI)

P.A. to JCI
20/11/23

Sri Virendra (SSI)

AO (SSI)

24-11-2023

ACI

915
23/11/2023

2 94024/2024/ -3 ई०-1032/18-4-2023 07
दिनांक 06-11-23

All India Metal Forging Association (Regd. 1971)

C-208, Bulandshahr Road, Industrial Area, Site-1, Ghaziabad-201009 (U.P.)
Phone : 0120-4375913 • E-mail : aimfagzb@gmail.com, aimfamandi@gmail.com

President Mr. Brijesh Aggarwal Mob. : 9810098648

General Secretary Mr. Aditya Dang Mob. : 9810657766

Finance Secretary Mr. Nitin Choudhary Mob. : 9971499149

संख्या 4574/ए.सी.एस.एम.एस.एम.ई./23
दिनांक 03-11-2023

दिनांक: 25/10/2023

श्रीमान प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

विषय : राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद गाजियाबाद में प्राधिकरणों द्वारा प्रताड़ित की जा रही इकाइयों के अबाध संचालन हेतु शासनादेश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार की उद्योगपरक गतिविधियों एवं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रेरित होकर जनपद गाजियाबाद में अनेक उद्यमियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर निवेश किया है। इस दौरान निवेशकों ने भूमि क्रय करने के बाद संबंधित जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत करवा कर औद्योगिक उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया।

कालान्तर में प्राधिकरणों (एचपीडीए एवं जीडीए) द्वारा यह दावा किया गया कि संबंधित भूमि को प्राधिकरण द्वारा नोटीफाइड किया जा चुका है। ऐसे में प्राधिकरणों द्वारा इन इकाइयों को बार–बार नोटिस भेजकर सील करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही निवेशकों को प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने एवं विकास शुल्क जमा कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जबकि नक्शा स्वीकृत करने वाले जिला पंचायत को विकास शुल्क पूर्व में जमा कराया जा चुका है। प्राधिकरणों की उक्त भूमिका से प्रताड़ित होने वाली इकाइयों में निर्यात श्रेणी की इकाइयां भी शामिल है।

उक्त समस्या का स्थायी समाधान करने की स्थिति में जनपद में सैकड़ों करोड़ रु. का निवेश आकर्षित किया जा सकता है, जोकि प्रदेश को 01 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

अत: आपसे आग्रह है कि राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए इकाइयों की स्थापना एवं अबाध संचालन के लिए शासनादेश जारी करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

भवदीय
(signature)
केशरी कुमार मिश्र
(अपर सचिव)
मो० 9354412403

सचिव

VS(SKP)

3/11/2023
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन,
खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

03/11/23
(पीताम्बर सिंह)
निजी सचिव,
सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन,
खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

JS/SO-4
(सुनील कुमार पाण्डेय)
06/11/2023
उद्यम ... विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

U.S.
6/11/23
SO-4
06/11/

.11.2023